न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 57/2017

महेन्द्र सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी 23 एमएल तह. व जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट

बनाम

1. कर्मचन्द | पि. मुंशीराम जाति अरोड़ा निवासी 23 एमएल
2. राजकुमार | तह. व जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।
4. मनचेत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 23 एमएल तह. व जिला श्रीगंगानगर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा. का. अ 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

दिनांक 31.03.2017

उपस्थितिः—

श्री बलराम सुथारा, अभिभाषक अपीलांट

श्री एच.एस जोली, अभिभाषक रेस्पों.

श्री इकबाल सिंह सिद्धू, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक :— 16.08.17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/रेस्पो. सं. 1 व 2 ने एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष रा. का. अ. की धारा 251 क के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की चक 23 एमएल के मु. नं. 52 के कि. नं. 13 ता 25 की 3.188 है. खातेदारी भूमि है । चक हाजा के मु. नं. 43 के कि. नं. 25 ता 21 तक रास्ता स्वीकृतशुदा है । यह रास्ता मु. नं. 42 के साथ आकर लगता है । मु. नं. 42 व 52 साथ–साथ लगते हैं तथा इन दोनों के प्रत्येक के कि. नं. 5,6, 15, 16, 25 में खाला स्वीकृतशुदा है तथा मौके पर पुलिया भी बनी हुई है । प्रार्थीगण इस रास्ता से होकर अपने रकबा में अप्रार्थी सं. 1 के मु. नं. 52 के कि. नं. 5, 6 की पूर्वी साईड में प्रचलित रास्ता से होकर आते जाते रहे हैं। मगर खाला बन जाने से अप्रार्थी ने रास्ता में रूकावट पैदा कर दी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी मु. नं. 52 के कि. नं. 5, 6 में खाला व आड़ की जगह छोड़कर साथ लगती जगह में 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना आवश्यक हो गया है। अतः निवेदन है कि मु. नं. 52 के कि. नं. 5, 6 में खाला व आड़ की जगह छोड़कर 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे।

अप्रार्थी संख्या–1 ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि सुखदेवसिंह, मनचेतसिंह ने मु.न. 52 के कि.न. 5, 4 में से [illegible] किया है। अब प्रार्थीगण को किसी रास्ता की [illegible] प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को तंग व [illegible] के लिए प्रा.पत्र पेश किया है। अतः निवेदन है कि प्रा.पत्र खारिज किया जावे ।

16/8/17

श्रीगंगानगर (राज.)

सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 31.03.17 को प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए मु.न. 52 में पूर्व में स्वीकृत शुदा रास्ते को आगे बढाते हुए कि.न. 7 में एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने के आदेश दिये गये । जिसके विरूद्ध यह अपील पेश हुई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने अधी.न्यायालय में यह निवेदन कर दिया कि यदि रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो उसे रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में भूमि दी जावें एवं अधी.न्यायालय में यह भी निवेदन किया कि मनचेतसिंह को पक्षकार बनाया था लेकिन उसको नोटिस नहीं दिया गया। प्रार्थीगण ने कि.न. 5, 6 में रास्ता की मांग की थी । कि.न. 5, 6 के पश्चात कि.न. 15 रेस्पो सं01 का है वह कि.न. 5,6, से अपने खेत में आ जा सकता है इसलिए कि.न. 7 में रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित नहीं है। अधी.न्यायालय ने बिना किसी आधार के रास्ता स्वीकृत किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पों को अपनी भूमि में जाने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं था । रास्ता स्वीकृत होने के पश्चात् रास्ता का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो चुका है। अपीलांट ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे रेस्पो. को अपनी भूमि में जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध हो । कि. नं. 4 व 5 में पूर्व से ही रास्ता स्वीकृत है उसे आगे बढ़ाते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने कि. नं. 7 में रास्ता स्वीकृत किया है एवं मुआवजे के रूप से डीएलसी दर की दुगुनी राशि भी

राजस्व अपील... श्रीगंगानगर (राज.)

दिलवाने के आदेश दिए हैं । अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटि नहीं है । अतः अपीलांट खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने कि. नं. 4 व 5 में पूर्व स्वीकृत रस्ता को आगे बढ़ाते हुए कि. नं. 7 में 1 बिस्वा स्वीकृति किया एवं रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में डीएलसी की दर से दुगुनी राशि दिलाये जाने के आदेश दिए हैं। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है । जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि रेस्पों. को अपनी भूमि में जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध हो । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो रास्ता स्वीकृत किया है । उसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)